न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस
अपील संख्याः 253/2020
भगवान पुत्र काना जाति मीणा, निवासीः छापर तन बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. जगदीश पुत्र काना
2. कालू पुत्र काना
3. राम कल्याण पुत्र शंकर
4. नानकराम पुत्र शंकर
5. रामजीलाल पुत्र शंकर
6. पांची पत्नि शंकर
   समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम छापर तन बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 10.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर, वाद पत्र संख्या 146/2019 उनवान भगवान सहाय बनाम जगदीश व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः
श्री बंशीधर जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी

निर्णय दिनांकः 26/2/2021

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर के प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 10.07.2015 वाद पत्र संख्या 146/2019 बउनवानी भगवान सहाय बनाम जगदीश व अन्य के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 218, 219, 240, 241, 242, 243, 244, 249, 250, 251, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 275, 335, 337, एवं 338 कुल किता 20 कुल रकबा 4.77 हैक्टेयर ग्राम छापर तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का संयुक्त हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का हिस्सा 1/4–1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का संयुक्त हिस्सा 1/4 अनुसार सहखातेदारी व सहकृषक में अंकित है। वादग्रस्त आराजी में वादी का संयुक्त हिस्सा 1/4 भाग स्थित है तथा प्रतिवादीगण हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अनुसार स्थित है जिसके अनुसार ही वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। वादी के हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादी तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदारी में संयुक्त रूप में दर्ज है जबकि वादी अपने हिस्सा भाग की भूमि में मौके पर मुताबिक सरस नरस सडक के लगवा अनुसार काबिज रहते हुये कृषि कार्य सहित उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना व संबंध सरोकार नहीं है। वादी अपने हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड विधिक बंटवारा सडक के लगवा अनुसार सरस नरस के तहत अपने हित में कराने का विधिक अधिकारी है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड विधिक बंटवारे हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 कतई तैयार नहीं है बल्कि अविभाजित वादग्रस्त भूमि के सडक के लगवा लगवा अनुसार संपूर्ण भाग में स्वयं काबिज होकर पुख्ता तामीरात निर्माण कराना चाहते है जिसके लिये अविभाजित विशिष्ट भू भाग की भूमि में सडक के लगवा अनुसार मौके पर आवासीय निजी निर्माण तामीरात कराने व अकृषि प्रयोजनार्थ मौका स्थिति में परिवर्तन कराने पर आमद फिसाद रहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि में वादी के हक कब्जे काश्त हिस्सा की भूमि के उपयोग उपभोग से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर वादी के हक अधिकार व कब्जे काश्त व कृषि कार्य में बाधा दखल व बेदखली करने की धमकियां देने लगे है तथा अविभाजित वादग्रस्त भूमि होने के कारण वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का निर्माण कराने की धमकियां दे रहे है जबकि वादी को बेदखल करने का विधिक अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं है। इस कारण वादी अपने हिस्से कब्जे अनुसार आराजीयात का विधिक तकासमा कराने का अधिकारी है। अभी कुछ दिन पूर्व ही वादी ने जब प्रतिवादीगण से आराजीयात का विधिवित तकासमा करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया एवं अविभाजित वादग्रस्त भूमि में मौके पर स्वयं का अपने अपने पुख्ता निर्माण कार्य व मौके व रिकॉर्ड मौके में परिवर्तन करने की धमकी दी इस कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये अंत में यह अनुतोष चाहा है वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मुताबिक सडक के लगवा अनुसार वादी के हिस्सा अनुसार विधिक तकासमा कराया जाकर वादी के हिस्सा कब्जे अनुसार की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड व लगान वादी के हित में अलग अलग कराया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त सहित प्रत्येक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा दखल एवं मजामहत नहीं करे एवं वादी की भूमि में जबरन प्रवेश, अतिक्रमण, निर्माण इत्यादि ना करे। ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 10.07.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को आदेशित किया कि वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सरस नरस के आधार पर तकासमा कर तकासमा के कुरैजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील अपीलार्थी की पत्रावली में एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट के नोटिस तामील करवाये एवं सूचना दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि विधि अनुसार दोनो पक्षकारान की विधिवत तामील करवाकर उनका पक्ष सुना जाकर ही कोई निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अपीलान्ट द्वारा वाद पूर्व में किये गये मनबट एवं मुख्य सडक से लगवा भूमि दिये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के अनुतोष पर ध्यान न देकर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

निर्णय दिनांक 10.07.2015 खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये।

4. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थी/अपीलान्ट जो अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं वादी है, ने प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 10.07.2015 की अपील लगभग 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ किये जाने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी अधिवक्ता ने वादी को निर्णय की सूचना नहीं दी थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निर्माण किये जाने तथा दिनांक 23.07.2020 को निर्णय की प्रति प्राप्त होने की जानकारी की तिथि से अपील प्रस्तुत की गयी है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट/प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में स्वयं वादी है तथा निर्णय दिनांक 10.07.2015 के पश्चात् उनके अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में पैरवी करते रहे है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को निर्णय की सूचना नहीं दिये जाने पर अधिवक्ता के विरूद्व कार्यवाही किये जाने बाबत कोई साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण 5 साल के विलम्ब को माफ करने का कोई पर्याप्त कारण इस न्यायालय के सम्मुख उपस्थित नहीं है।

अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमो तथा दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 25.08.2015 को नियत थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.07.2015 को लोक अदालत में बिना अपीलान्ट को कोई सूचना/नोटिस दिये ही प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी कर दी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को नोटिस जारी किये गये है तथा निर्णय के पश्चात भी अपीलान्ट के अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करते रहे है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो कि अधिनस्थ न्यायालय के सम्मुख इस संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो। इस प्रकार यह अवधारणा की जा सकती है कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट थे एवं 5 वर्ष पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत किया जाना उनका पश्चातवर्ती विचार है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित की है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित है।

5. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 10.07.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26/2/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर